25

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः-- श्री एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 123--दो/2006 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 17--10--2005 के द्वारा न्यायालय कलेक्टर, जिला--भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 02/1996--97/अ.न.पा.

....

तेजबहादुर सिंह पुत्र श्री शिवनारायण सिंह चौहान
निवासी-- आलमपुर, तहसील-- लहार,
जिला-भिण्ड, (म0प्र0)

.... आवेदक

विरूद्ध

1- दयाराम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण कौरव(मृतक) वारिसानः--
अ- श्रीमती रामश्री देवी बेवा स्व0 दयाराम
ब समाशंकर पुत्र स्व0 दयाराम
निवासीगण-- आलमपुर, तहसील-- लहार,
जिला--भिण्ड, (म0प्र0)
2- मुख्य नगर पंचायत अधिकारी,
नगर पंचायत आलमपुर, तहसील-- लहार,
जिला- भिण्ड, (म0प्र0)

.... अनावेदकगण

....

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1 वारिसों
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 2

....

आदेश
(आज दिनांक 8.11.16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर, जिला--भिण्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 17--10--2005 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम आलमपुर स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 494 रकबा 0.073 हैक्टेयर का नामांतरण दिनांक 07.11.96 को नगर पंचायत, आलमपुर से आवेदक का नामांतरण हो गया था। अपने भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि खसरा क्र0 494 पर भवन निर्माण हेतु नगर पंचायत आलमपुर से स्वीकृति चाही गई, जो उसे दिनांक 11.02.97 द्वारा प्रदान की गई । अनुमति दिनांक 11.02.97 के विरूद्ध कलेक्टर भिण्ड के समक्ष अनावेदक क्र0 1 दयाराम (जो वर्तमान प्रकरण में मृत हो चुका है) इस आधार पर अपील की गई कि खसरा क्र0 470 शासकीय आराजी आम रास्ता है। पंचमसिंह आदि ने शासकीय रास्ता 470 को 494 बताकर विक्रय कर दिया है। कलेक्टर, जिला–भिण्ड के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 02/1996–97/अ.न.पा. पर पंजीबद्ध किया गया तथा पारित आदेश दिनांक 17.10.2005 द्वारा भवन निर्माण हेतु नगर पंचायत आलमपुर से अनुमति प्राप्त दिनांक 11.02.97 अमान्य किया गया । इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह बताया है कि अनावेदक क्र0 1 को अपील करने की अधिकारिता नहीं थी। उसके द्वारा प्रस्तुत अपील अक्षम होकर अग्राह्य है। ऐसी अग्राह्य अपील में पारित अधिकारिता रहित होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता। आवेदक को भवन निर्माण की अनुमति शासकीय ख0क्र0 470 आम रास्ता पर नहीं दी गई है, अपितु उसके भूमि स्वामित्व की भूमि खसरा क्र0 494 पर दी गई है, जिसे प्राप्त करने का उसका संवैधानिक अधिकार है। वास्तविकता तो यह थी कि अनावेदक क्र0 1 द्वारा शासकीय भूमि खसरा क्र0 470 की आड़ में अपने भूमि स्वामित्व की भूमि खसरा क्र0 493 के सुगम व्यापारिक उपयोग हेतु आवेदक के विरूद्ध व्यर्थ की कार्यवाही की गई है। संलग्न नक्शा की छायाप्रतियों से स्पष्ट है। इस बिन्दू पर अधीनस्त न्यायालय द्वारा विचार ही नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि नक्शा तरमीम का आदेश आवेदक को पक्षकार बनाये बिना उसके पीठ–पीछे पारित किया गया है। ऐसा आदेश आवेदक पर आबद्धकर नहीं है। ऐसे आदेश के आधार पर आवेदक के भवन निर्माण की स्वीकृति अपास्त नहीं की जा सकती । किचकबंदी में तैयार किये गये नक्शा को जिसे चकबन्दी अधिकारी द्वारा पुष्टिकृत किया गया है उसे संशोधित या रूपांतरित या निरस्त करने की अधिकारिता बन्दोबस्त आयुक्त को है, कलेक्टर

... नक्शा तरमीम आदेश अधिकारिता रहित है । ऐसे अधिकारिता रहित आदेश के आधार पर आवेदक को प्रदान की भवन निर्माण अनुमति अपास्त किया जाना नितांत अवैध और अनुचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किया जावे।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों का अवलोकन किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अध्ययन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा क्रमांक 470 शासकीय भूमि है । उक्त तथ्य की पुष्टि अनावेदक क्रमांक 2 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं न्यायालयीन प्र0क्र0 130/94–95/बी–121 में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.97 से पुष्टि होती है । आलौच्य आदेश में वादग्रस्त भूमि खसरा क्रमांक 470 को शासकीय रास्ता माना गया है । उक्त खसरा नम्बर अक्श में संशोधन हेतु एक अन्य पक्षकार लक्ष्मीनारायण पुत्र सुखदेव द्वारा प्रकरण कायम कराया गया था। उक्त प्रकरण में जांच उपरांत आदेश पारित किया गया है, जिससे परिवेदित होकर आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 84/97–98/ संचालित कराई गई है। उक्त अपीलीय प्रकरण में अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.05 के जर्ये तत्कालीन कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.97 को विधिसंगत पाते हुये स्थिर रखा गया है। आवेदक की अपील अमान्य की गई है।

6/ अधीनस्थ कार्यालय नगर पंचायत परिषद आलमपुर के मूल अभिलेख के अवलोकन से इस तथ्य की भी पुष्टि होती है, कि भूमि खसरा क्रमांक 494 आवेदक द्वारा विक्रेता पंचमसिंह वगैरह से जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 06.09.96 से क्रय किया गया है । उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भू–खण्ड पर भवन निर्माण की अनुमति हेतु आवेदन पत्र क्रेता तेजबहादुर सिंह ने अध्यक्ष, नगरपंचायत आलमपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन पर कार्यवाही कर अनावेदक क्र0 2 को अपेक्षित स्वीकृति दी गई है। परन्तु नगर पंचायत परिषद की ओर से वादग्रस्त भूमि के भू–खण्ड पर भवन/दुकान निर्माण के संबंध में नजूल अधिकारी से इस आशय की अनापत्ति प्राप्त नहीं की गई है, कि भूमि खसरा क्रमांक

...में शासकीय भूमि सम्मिलित है, अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त नगर पंचायत परिषद द्वारा ...ित भू–खण्ड की पटवारी मौजा से अक्श, नक्शा एवं चतुर्थ सीमा के संबंध में भी रिपोर्ट नहीं ली गई है । अधीनस्थ कार्यालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी परिलक्षित होता है कि वादग्रस्त निर्माण की स्वीकृति में स्पष्ट दिशाओं का उल्लेख नहीं किया गया है । भवन/दुकान निर्माण की अनुमति देने के पूर्व संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा मौका स्थल निरीक्षण भी नहीं किया जाना पाया जाता है । क्योंकि उक्ताशय की रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न नहीं पाई गई है । इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक एवं तत्कालीन मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपंचायत परिषद आलमपुर द्वारा आपस में दुरभिसंधि के माध्यम से शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 470 के अंश भाग पर मौन अपेक्षित अनुमति वादग्रस्त आदेश के जरिये दी जाना प्रमाणित है । भूमि खसरा क्रमांक 470 पर आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय की रिट याचिका क्रमांक 2334/1996 एवं 2351/2003 में पारित आदेश के जरिये अतिक्रामक घोषित किया गया है तथा संबंधित अतिक्रामकों को बेदखल करने के लिये 04 माह की समयावधि भी निश्चित की गई थी, जो समाप्त हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ नगरपंचायत परिषद आलमपुर द्वारा पारित किया गया वादग्रस्त आदेश दिनांक 11.02.97 अस्पष्ट होकर ... इसी स्तर पर कलेक्टर, भिण्ड द्वारा भवन निर्माण हेतु नगर पंचायत आलमपुर से अनुमति ... दिनांक 11.02.97 अमान्य किया गया है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि कलेक्टर, भिण्ड द्वारा पारित आदेश 17.10.05 विधिसंगत है । उसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अतः कलेक्टर भिण्ड का आदेश स्थिर रखते हुये आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। तत्पश्चात पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर